

बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन. नया सचिवालय. पटना-15



पत्रांक—8 अंकेक्षण (10) 12/2024.....

ज्ञापांक—8 अंकेक्षण (10) 12/2024. 1891 मि

दिनांक-..../2025

प्रेषक,

डॉ0 सुनील कुमार ठाकुर, संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)

	वा	TT
21	u	-
	-11	,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना । सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार । परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना । गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना । चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना । सहायक, सूचना एवं प्रसार, बिहार । सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार । सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार । सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार ।

विषयः-

सी0ए0जी0 का वित्तीय वर्ष 2023—24 के 'राज्य का वित्त' की कंडिका 4.7 का अनुपालन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 21 दिनांक 03.01.2025 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 13592/वि0 दिनांक 19.12.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सी0ए0जी0 का वित्तीय वर्ष 2023–24 के 'राज्य का वित्त' की कंडिका 4.7 के आलोक में लंबी अवधि से पी0डी0 खातों में जमा अव्यवहृत राशि की समीक्षा कर संगत सेवा शीर्ष में अविलंब जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय/वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना पशुपालन निदेशालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। अनुलग्नकः– यथोक्त।

> विश्वासभाजन ह0/— संयुक्त निदेशक (प0स्वा0) पटना—15, दिनांक—...<u>14</u>../.<u>0.1</u>.../2025

प्रतिलिपि :— विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई—मेल करने हेतु प्रेषित ।



पत्र सं०-एम-4-11/2019.(3.592./वि० नियार सरकार वित्त विभाग

संजीव मित्तल, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव ।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना ।

विषय :-

3100 21 Gral M) प्रसंग पु. पहा-04

विभागीय पत्रांक-9073 दिनांक-14.11.2019, स्मार पत्रांक-8825 दिनांक-05.10.2023 एवं पत्रांक-47 दिनांक-02.01.2024,

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सीठए०जी० का वर्ष 2023-24 के 'राज्य का वित्त' की कंडिका 4.7 में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पीठडी० खातो की शेष राशि (यथा, अंकित अंतःशेष राशि विवरणी) का आवधिक समाशोधन नहीं किये जाने एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले पीठडी० खातो में अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं किये जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुये इसे लोकधन के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाने का कृत्य दर्शाया गया है । इसी क्रम में अंकित किया गया है कि पीठडी० खातो की समीक्षा कर लगातार पांच वित्तीय वर्षी तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरण करना आवश्यक है ।

बिहार कोषागार संहिता के अनुसार पीठडीठ खाता में संधारित राशि के अप्रयुक्त/अव्यवहृत रहने की स्थिति में इसे वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य के समेकित निधि के संगत भार्ठ) शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है । इस हेतु सम्प्रति पाँच क्रमिक वर्ष की निर्धारित अवधि प्रभावी है। विभागीय अधिसूचना संठ-2916 दिनांक 03.06.2020 द्वारा बिहार कोषागार संहिता के नियम-349 के उपनियम-(2) (viii) के रूप में जोड़े गये अवधि संबंधी उक्त प्रावधान को निम्नवत देखा जा सकता है:-

"बिनांक-01.04.2019 के पूर्व खोले गये सभी पी0एल0/पी0डी0 खाते को CFMS व्यवस्था के अंतर्गत संधारण की तिथि default रूप से 01.04.2019 माना जायेगा एवं पी0एल0/पी0डी0 खाते में जमा अप्रयुक्त राशि पाँच क्रमिक वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो जायेगी।" इस प्रकार दिनांक-01.04.2019 के प्रभाव से निर्धारित पाँच क्रमिक वर्ष की अवधि 31.03.2024 को पूर्ण हो चुकी है । यह गणना CFMS के प्रभावी होने की तिथि यथा, दिनांक-01.04.2019 से default रूप से विहित है, जबकि कई खाता के परिपेक्ष्य में यह अवधि वित्तांक-01.04.2019 से default रूप से विहित है, जबकि कई खाता के परिपेक्ष्य में यह अवधि 24 की वित्ती/की कंडिका 4.7 से स्पष्ट होता है कि कतिपय पी0डी0 खाता में बड़ी राशि लंबी अवधि से अप्रयुक्त अव्यवहृत चली आ रही है, जिन्हें राज्य के समेकित निधि के संगत शीर्ष में जमा किया जाने की आवश्यकता है, ताकि योजनाओं के क्रियान्यवन में राशि की गतिशीलता बनी रहे । <u>इस संबंध में प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा निदेश दिये जाने के बावजूद अभी भी अव्यवहुत राशि को</u> <u>राज्य के समेकित निधि में जमा कराने की कार्रवाई अपेक्षित है ।</u> अतएव अनुरोध है कि लंबी अवधि से पी0डी0 खातो में जमा अव्यवहृत राशि की

समीक्षा कर संगत लेखा शीर्ष में अविलंब जमा कराये जाने की कृपा की जाय । साथ ही इस संबंध में नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन, (संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव ।

Chapter-IV : Quality of Accounts and Financial Reporting Practices

During the month of March 2024, 1,648 AC Bills amounting to ₹4,041.12 crore (22.06 *per cent* of the total drawn 5,088 AC Bills amounting to ₹4,718.24 crore) were drawn in March 2024. Major Head-wise pending DC bills are shown in **Chart 4.4**.

260.12



(Source: Data provided by the O/o AG (A&E), Bihar)

As shown in **Chart 4.4**, the pending DC bills were related with capital expenditure under different Major Head- 4059, 4202, 4210, 4515, 4851 and 5054.

Expenditure against AC bills, at the end of the year and for the creation of capital assets, indicates poor public expenditure management. It also indicates that withdrawals were being made primarily to exhaust the budgetary provisions. Non-adjustment of advances for long periods shows that the expenditure stands inflated to that extent and could not deny fraught with the risk of misappropriation. Non-submission of DC bills within the prescribed period breaches financial discipline and enhances the risk of misappropriation of public money.

4.7 Personal Deposit (PD) Accounts

Rule 339 of BTC, 2011, describes that no Personal Deposit Accounts shall be opened at the Treasury without the written authorisation of the Finance Department under intimation to the Accountant General. Further, Rule 340 (b) stipulates that the PD Account shall only be used for special cases where public interest requires speed of expenditure not possible through the normal treasury procedure or there are a large number of small beneficiaries dispersed in interiors such that direct disbursement through the treasury is not practicable. Transfer of funds to PD Accounts is booked as final expenditure from the Consolidated Fund under the concerned Major Head. PD administrators are required to review all PD Accounts at the end of the financial year and transfer the amount lying unspent after five consecutive financial years (including the financial year in which the money was withdrawn)² back to the Consolidated Fund of the State by reduction of expenditure to the service head.

As per the notification³ issued by the Finance Department, GoB, "all PD/PL Accounts opened prior to the date 01.04.2019, will be treated to be opened on 01.04.2019, as a default under CFMS and the unutilised amount lying in PD/PL Accounts shall lapse at the end of five subsequent financial years". The concept of inoperative PD Accounts would, therefore, be nullified.

At the end of March 2024, ₹ 2,180.46 crore were lying with 252 Administrators. as shown in Table 4.8.

Opening Balance as on 01.04.2023		Addition during the year		Closing/Withdrawal during the year		Closing Balance as on	
No. of Administrators	Amount	Number of Administrators	Amount	Number of Administrators		31.03.20 Number of Administrators	Amount
242	3,858.07*	12	1,160.67*	02	2,838.28*	2525	2,180.40

The difference (₹ 3,858.05 crore - ₹ 3,858.07 crore = ₹ 0.02 crore) between CB of 2022-23 and OB of 2023-24 due to alteration of payment figure for the month of September, October and February in FY 2019-20 and payment figure of month April in FY 2020-21 in respect of Bhagalpur Treasury.

During the year, Receipts of ₹ 1,160.67 crore and Payments of ₹ 2,838.28 crore appeared in the plus minus

Difference of ₹ 6.43 crore shown in Statement 21 under MH 8443-106 under reconciliation. 5

Note- Four PD Accounts with a total balance of ₹ 1.54 crore are yet to be migrated in CFMS.

Table 4.8: Details of PD Accounts as n

Trend of closing balance in PD accounts at the end of the last five years are detailed in Chart 4.5.



⁽Source: Finance Accounts for the respective years)

Administrators of PD Accounts were required to reconcile and verify their balances with the treasury figures and verification certificates were also required to be furnished to the Accountant General (A&E). However, during the period 2023-24, out of 252 Administrators of PD Accounts of the State, only 44 Administrators have reconciled and verified their balances with the treasury

GoB Notification no. 6679, dt: 23.08.2016.

Notification no. M-4-02/2020-2916/F Dt: 03.06.2020.

1

State Finances Audit Report

for the year ended 31 March 2024